RGI

10/01/24 पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप.।
पत्रावली में TDR वाली ~~[illegible]~~ व पटवारी हल्का भंदर
से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली हो चुकी है।

नं हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे स्व हंसाजी के वारिस पुत्रो मगनलाल, जवानमल, बाबुलाल के वादग्रस्त भूमि मे दर्ज हिस्से को 1/12, 1/12 दर्ज किये जाने का अनुरोध चाहा है तथा हंसाराम की पत्नी शांति की मृत्यु होना वर्णित किया है पटवारी हल्का भंदर व तहसीलदार बाली ने वर्णित भूमि के खातेदारान के हिस्से को सेग्रीगेशन के दौरान त्रुटिपूर्ण होना स्वीकार करते हुये सही हिस्सा दर्ज किया जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है रिपोर्ट के साथ में रेकर्ड में दर्ज खातेदारान के वंश वारिसान का पारिवारिक सजरा भी पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण व इनकी माता शांति प्रत्येक का 1/24, 1/24 हिस्सा दर्ज किये जाने बाबत रिपोर्ट की है। अतः प्रार्थना पत्र माफिक जाँच रिपोर्ट पटवारी हल्का भंदर व TDR बाली स्वीकार किया जाता है तथा इसी अनुसार रिकर्ड मे हिस्से दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में माता शांति w/o हंसाराम की मृत्यु होना वर्णित किया है अतः TDR बाली नामान्तरकरण के दौरान इस संबंध में भी जाँच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। TDR बाली व पटवारी हल्का भंदर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति TDR बाली व पटवारी हल्का भंदर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

SDO
उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.